

गोमती नदी से बनने वाला एक प्रमुख नदी है
इस नदी की लंबाई 177 R.T. है, जो इस क्षेत्र में बहती है
177 R.T. है, जो इस क्षेत्र में बहती है
177 R.T. है, जो इस क्षेत्र में बहती है
177 R.T. है, जो इस क्षेत्र में बहती है

2582-63
27/10/17
12/11/17

खण्ड नं. 213 के खण्ड नं. 867 रफका
0.8100 हेक्टेयर एतद्वारा बंधन प्राप्त
द्वारा प्राप्त प्लान नंबर 651-656 दि 26-11-96
परिचय का भी समानान्तर रूप से
गठन पूर्वक अध्ययन कर उस पर
भी अनुरोध किया सम्पूर्ण प्रकरण
के विवेचन के उपरान्त यह पाया
कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार
पुराने खण्ड नं. 721 मी. रफका 0.81
का नया खण्ड नं. 867 रफका 0.81
हेक्टेयर होने के लिए उपरोक्त अधिकारी
आर्थिक सिराही से जारी क्रमांक
क्रमांक/मुक्र/96/651-656 दि 26-11-96
के अनुसार कृषि विभाग द्वारा कृषि
परीक्षा प्राप्त होने वाली भोगवाल निवासी
शोयली के खण्ड नं. 721/4 की कृषि
काराजी में से 2420.00 वर्ग गज भूमि
का नियमानुसार आवासीय उपयोगार्थ
संपर्किवन पट्टा मिलने सं. 135/96
कृषि विभाग द्वारा भोगवाल निवासी
शोयली के नाम जारी हुए
एतद्वारा उपरोक्त पट्टा मिलने के
वत्सालीन उपरोक्त अधिकारी
सिराही द्वारा नोन डाई. ब्रह्म देव
पर उपरोक्त कार्यलय सिराही
में दि 8-11-1996 को पंजिब ह
द्वारा संपर्किवन पट्टा भूमि का
नक्शा भी अनुमोदित किया
अधिकृत द्वारा आवासीय उपयोगार्थ
संपर्किवन पट्टा मिलने का नक्शा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक फ्लेक्टर (६००) सिरोंही मुकाम

स्टेट (१६७) सिरोंही

बनाम पद्मराज कुमार

किस्म मुकदमा पुस्तक खंड
177 R-T Act

राजपुत्रा सं. 114/201

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हये
	<p>राजस्व अधिकारी को काफरवाही बड़ी हो इसमें फायदा की कोइ ब्याबरवाही नहीं बड़ी हो पाया स्टेट तहसीलदार सिरोंही ने मात्र संयुक्त मौफज जाम बरमान चलवायी हलका चोईली तथा मू. आ. आ. रामपुर (जोइने केवल मात्र मौफज जाम के आधार पर तहसीलदार सिरोंही ने विष्णु यह घाबरापूर पेश किया है जवकि वर्तमान चलवायी हलका गोपाली व मू. आ. आ. रामपुर ने उपर्युक्त संप्रदायिक मुमि के संबंधित शेख डेवके विना पत्र मौफज जाम के आधार पर यह घाबरापूर तहसीलदार सिरोंही ने पेश किया है उपर्युक्त संप्रदायिक मुमि का राजस्व शेख डेवके विष्णु रामपुर जाम तहसील है जो केवल पत्र लिखानी तहसीलदार सिरोंही मू. आ. आ. व हलका चलवायी गोपाली दोही है तथा वर्तमान चलवायी हलका गोपाली व मू. आ. आ. रामपुर ने विना राजस्व शेख डेवके मात्र मौफज जाम व वर्तमान जमाबंदी के आधार पर गोपाली तहसीलदार कोइली विष्णु यह घाबरापूर पेश किया है जिससे फायदा जो जारी है वर्तमान</p>	

